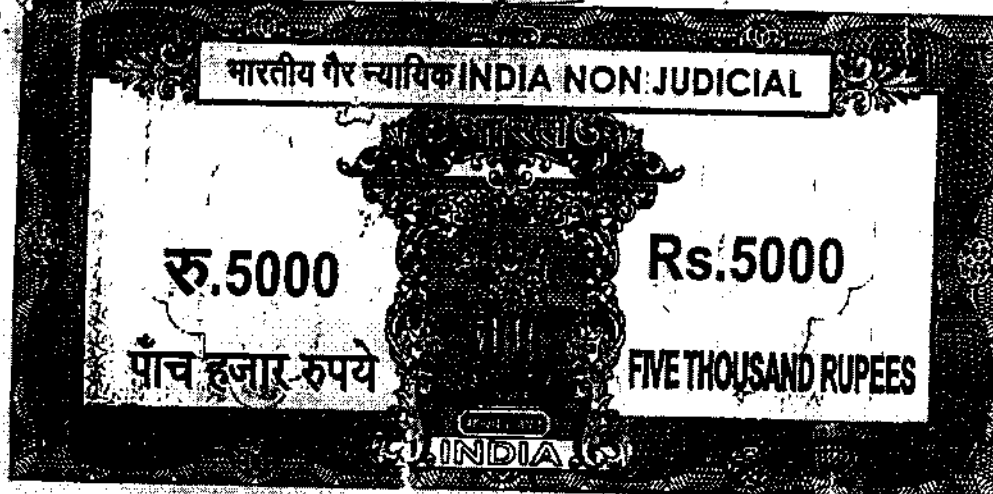


277 277



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



Advocate
Feh. Saradhama (Mee)



विक्रय पत्र

11/04/69 138



Advocate
Feh. Saradhama (Mee)

- > विक्रय मूल्य 2,48,768/- रुपये
- > विक्रित भूमि किसी राजकीय, जनपदीय या लिंक मार्ग पर स्थित नहीं है।
- > विक्रित भूमि पर अन्य प्रयोजन की दर 25,00,000/- रुपये प्रति हेक्टेयर से अधिक दर पर स्टाम्प अदा किया जा रहा है।
- > कुल देय स्टाम्प अकन 24,900/- रुपये

Asghar

Om

1 JAN 2002
40. 1. Paradise Point, No. 10, Indraprastha, New Delhi.
2. Sanat Khambhadi, Delhi.
Through - Mr. Rajendra Singh, C.B. Singh, Delhi.

240.768/

45.00%

21.

52025

1812

[illegible]

Arch

80-10000
12/1/80
7

विषय का विवरण पृष्ठ संख्या

SECRET

१३ दशा ॥ १३ ॥ १३ ॥ १३ ॥ १३ ॥

[illegible]

152812-121212 11

940768/1. 20/11/20

[Handwritten signature]

५. ४५
७. १०-१२/१३



... ..

[Handwritten signature]

734 315 40711

王

100-443887-100

7-60-20

1



...the ...



...the ... of ...



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

. 2 .

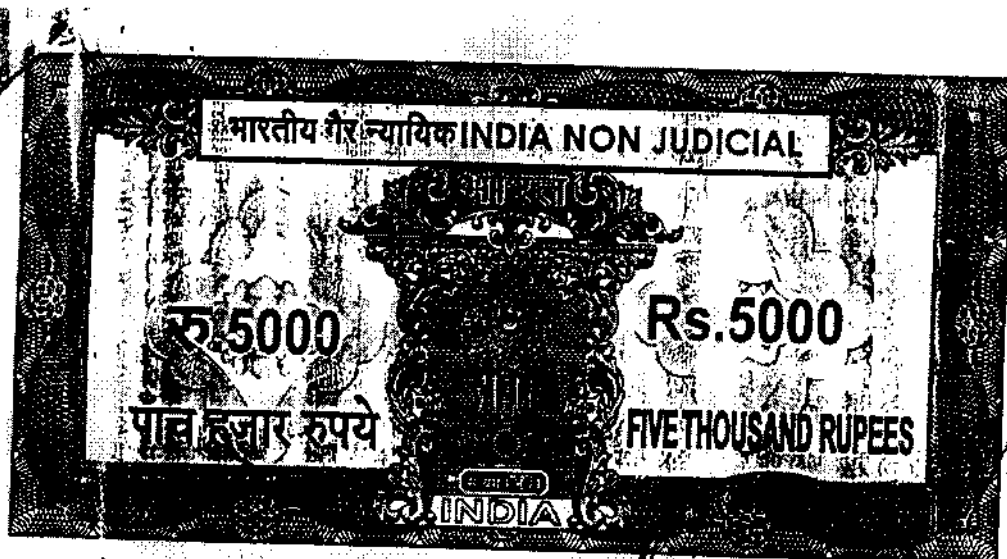
विक्रय पक्ष ओर से आजादपाल पुत्र श्री टीकम सिंह निवासी
ग्राम जाटौली, परगना दौराला तहसील सरधना जिला मेरठ
-----प्रथम पक्ष (विक्रेता)

एवं

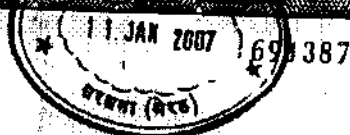
मै० ए० आर० पैराडाइस प्रा०लि०, 110-इन्द्रप्रकाश
बिल्डिंग, 21-बारह खम्बा रोड, नई दिल्ली - 110001,
द्वारा अधिकृत श्री राजेन्द्र शर्मा पुत्र श्री सी०बी० शर्मा,
निवासी केयरआफ ए०आर० पैराडाइस प्रा०लि०,
110-इन्द्रप्रकाश बिल्डिंग, 21-बारहखम्बा रोड, नई
दिल्ली-110001 द्वितीय पक्ष (क्रेता)

[Signature]

[Signature]



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

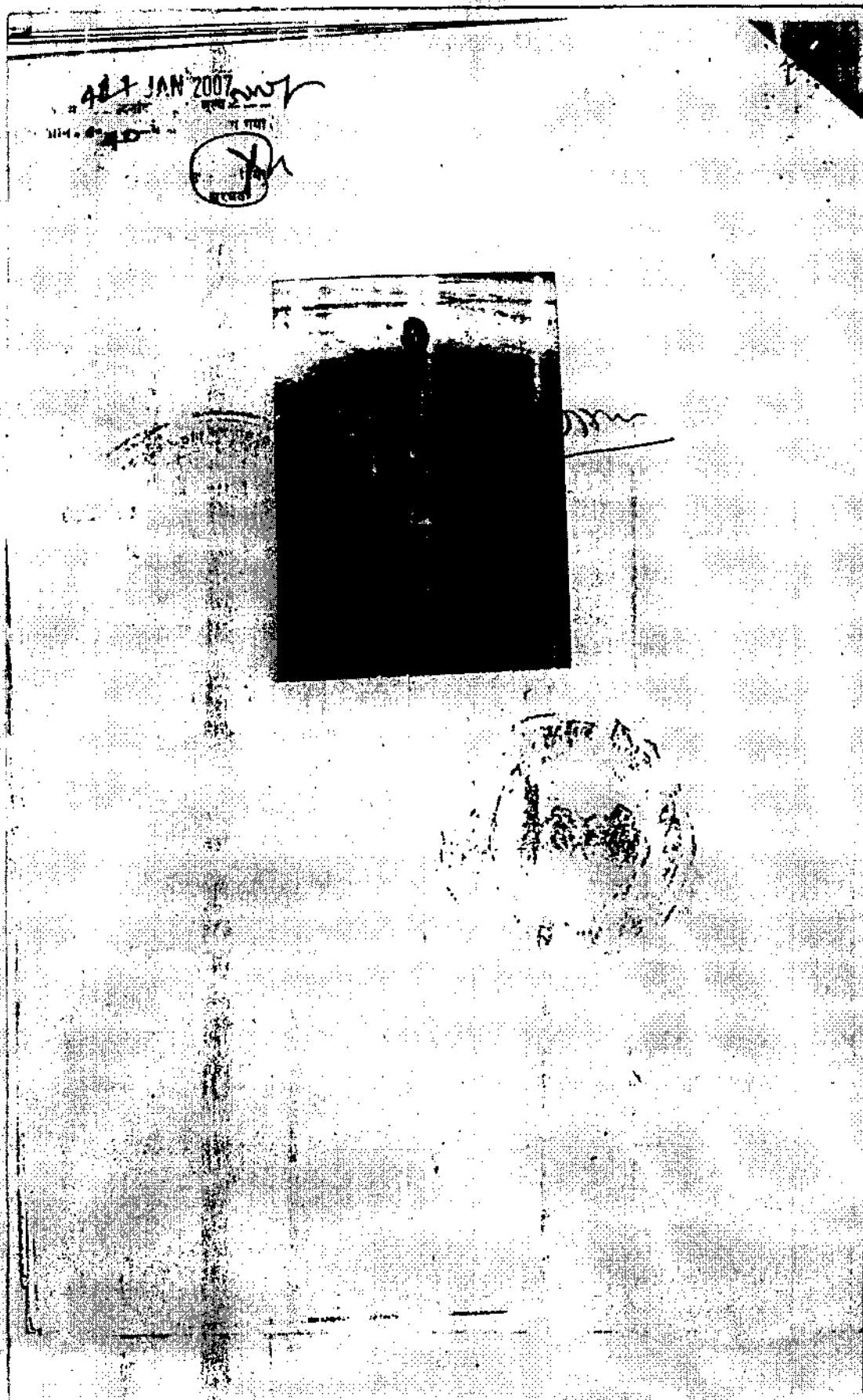


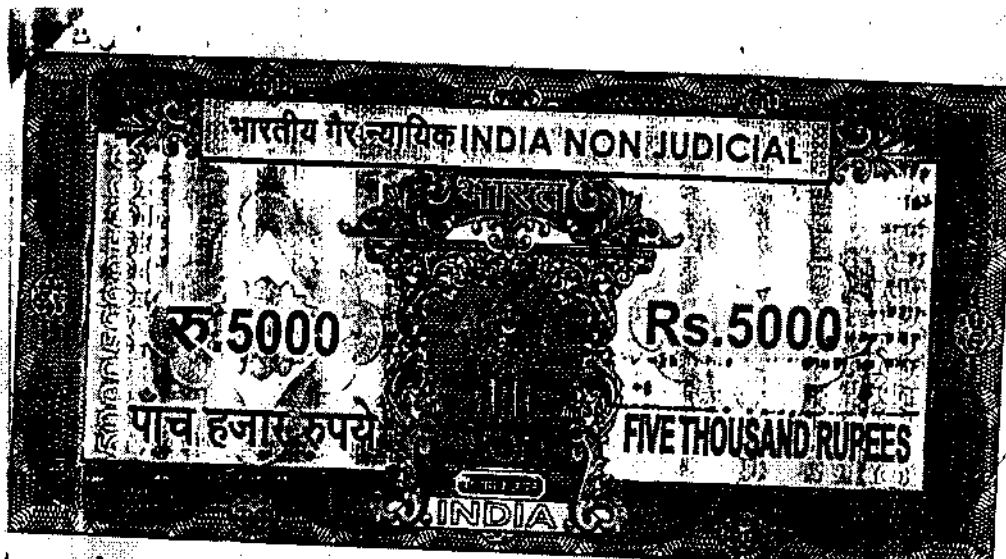
. 3 .

जो कि भूमि खाता संख्या 00185 के खसरा नम्बर 1715/2 भि०, रकबा 0.0130 हे० शून्य दशमलव शून्य एक तीन शून्य ईक्वेयर लगान 0.65 रुपये सालाना, स्थित ग्राम बाटौली, परगना दौराला तहसील सरधना जिला मेरठ के प्रथम पक्ष व्यक्तिगत स्वामी एवं वास्तविक अधिकारी तथा संक्रमणीय भूमिधर है तथा उपरोक्त भूमि प्रथम पक्ष विक्रेतागण की ओर से आज की तिथि तक प्रत्येक प्रकार के ऋण एवं भार आदि से उद्धार है तथा वैधानिक झुट्टियो एवं दोषों से मुक्त एवं रहित है और प्रथम पक्ष विक्रेतागण को अपनी

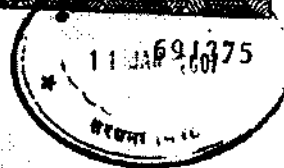
3







उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

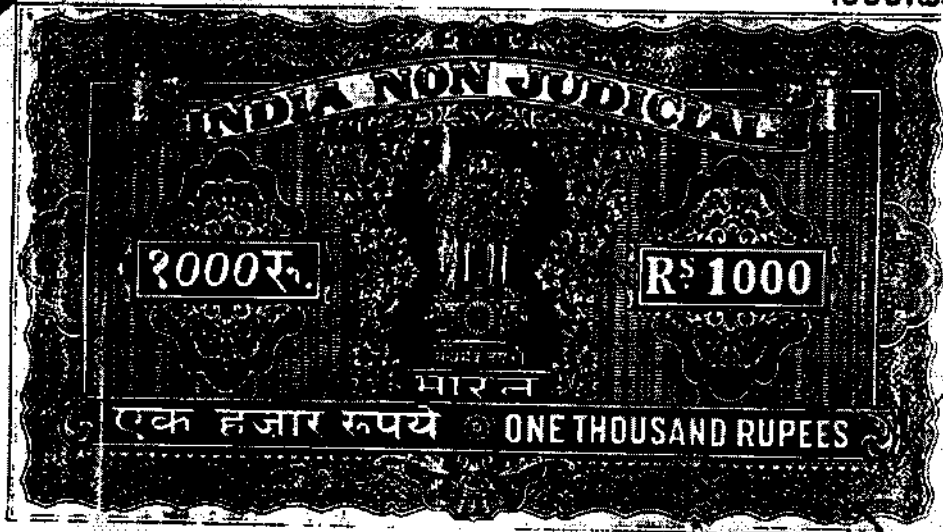


उपरोक्त भूमि को विक्रय तथा हस्तान्तरित आदि करने के समस्त स्वामित्व एवं अधिकार प्राप्त है। कोई वैधानिक त्रुटि अथवा दोष प्रथम पक्ष के विक्रय अधिकारों में बाधक नहीं है। प्रथम पक्ष ने उपरोक्त भूमि को किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था में बन्धक नहीं किया है तथा वह सभी प्रकार के भारों से मुक्त है। उपरोक्त भूमि प्रथम पक्ष के संक्रमणीय अधिकारों की भूमि है तथा उसका कोई कारशतकार शिकमी या साझी, जैली या काबिज नहीं है तथा सौके पर प्रथम पक्ष की कारशत मौजूद है। उपरोक्त भूमि के सम्बन्ध में आज की तिथि तक कोई कार्यवाही एक्ज्यूजीशन या रिक्यूजीशन आदि की किसी न्यायालय अथवा कार्यालय में विचाराधीन नहीं है। उपरोक्त



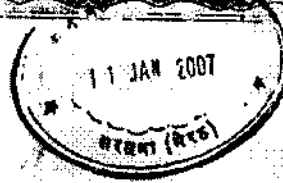






12331

5

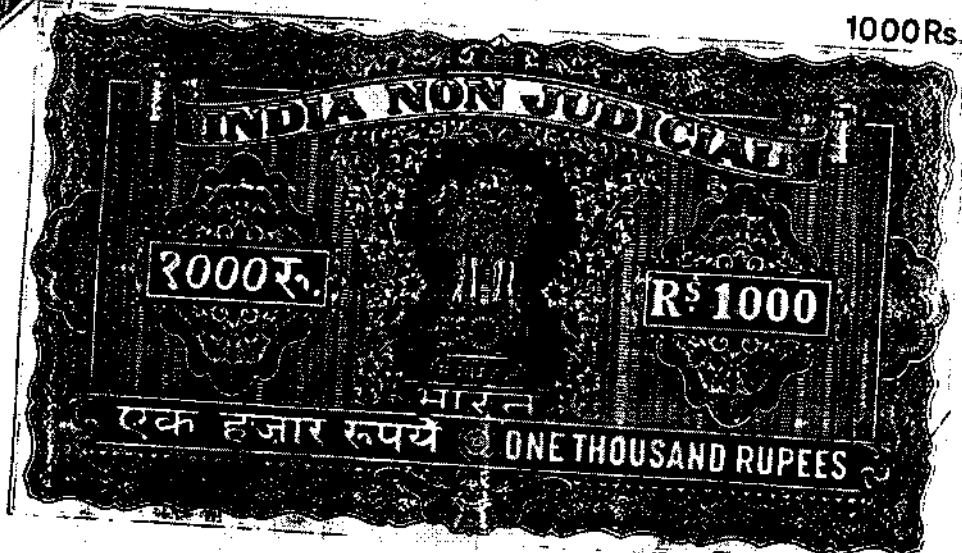


भूमि नगर भूमि सीमारोपण अधिनियम 1976 के प्राविधानों के अन्तर्गत किसी भी रूप में अतिरिक्त घोषित नहीं है और उसके सम्बन्ध में धारा 10 (3) व धारा 10 (5) का कोई आदेश पारित नहीं हुआ है। उपरोक्त भूमि कृषि की भूमि है तथा समस्त राजस्व अभिलेखों में कृषि के रूप में अंकित है। उपरोक्त भूमि का मूल्य अंकन 2,48,768/- दो लाख अड़तालीस हजार सात सौ अड़सठ रुपये तय है जो अति उचित एवं वर्तमान बाजारी मूल्य के अनुकूल है। इससे अधिक मूल्य मिलने की वर्तमान समय में कोई आशा नहीं है। प्रथम पक्ष अन्य कृषि भूमि क्रय करना चाहते हैं, इसलिये इस भूमि को विक्रय कर देना उचित समझा गया है तथा विक्रय करने से

[Signature]

[Signature]

5



32932

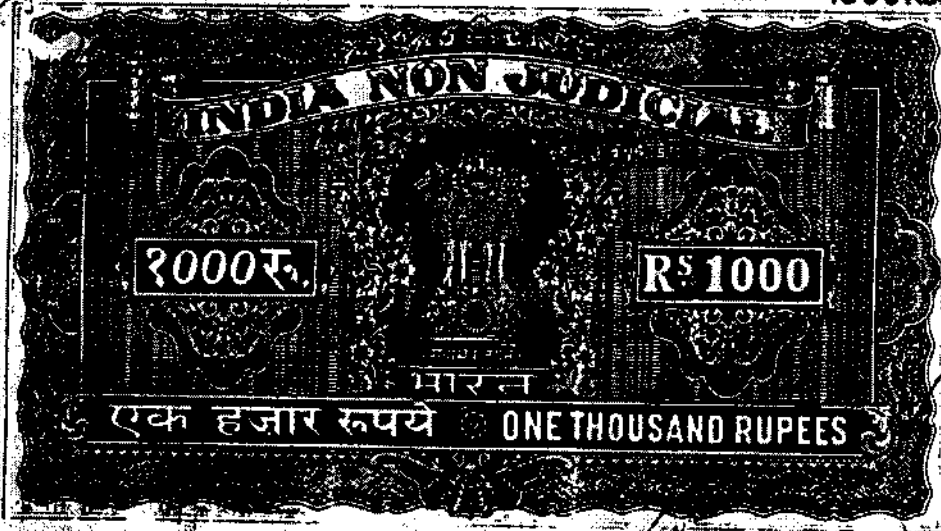
6

सभी प्रकार से लाभ एवं भलाई दृष्टिगत है। अतः उपरोक्त वर्णित भूमि को उससे सम्बन्धित समस्त अधिकार, स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि सहित, बिना छोड़े हुए किसी स्वत्व एवं अधिकार के चाहे उनका वर्णन इस विक्रय विलेख में किया गया हो अथवा न किया गया हो, स्थिर मस्तिष्क एवं स्वस्थ हस्तियों की मर्यादा में अंकन 2,48,768/- दो लाख अड़तालीस हजार सात सौ अड़सठ रुपये विक्रय मूल्य के उपलक्ष्य में हस्त 100 ए0 आर0 पैराडाइस प्रा0लि0, 110-इन्द्रप्रकाश कालिंदी, 21-बारह खम्बा रोड, नई दिल्ली - 110001, द्वारा अधिभूत श्री राजेन्द्र शर्मा पुत्र श्री सी0बी0 शर्मा, निवासी - केयम्बाफ ए0आर0 पैराडाइस प्रा0लि0,

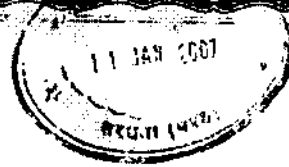
[Signature]

[Signature]

1000Rs.



32833



. 7 .

110-इन्द्रप्रकाश बिल्डिंग, 21-बारहखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001 को विक्रय कर दिया और बेच डाला और समस्त विक्रय मूल्य निम्नानुसार प्रथम पक्ष विक्रेतागण ने द्वितीय पक्ष क्रेता से प्राप्त करके विक्रित भूमि को अपने अधिकार, समित्व एवं अधिपत्य आदि से निकासकर क्रेता के अधिकार, समित्व एवं अधिपत्य आदि में देकर उनको व्यक्तिगत स्वामी एवं वास्तविक अधिकारी बना दिया। अब प्रथम पक्ष विक्रेतागण का कोई अधिकार या स्वत्व विक्रित भूमि से सम्बन्धित भविष्य के लिये शेष नहीं रहा और न होगा। वास्तविक परिवर्तन कार्यान्वित हुआ। यह विक्रय पूर्णतया उचित वैधानिक एवं मान्य है तथा प्रयोग होने योग्य है। कब्जा विक्रित भूमि का स्थल पर

Amal

Amal

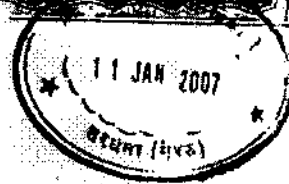


32934

8

कतई खाली का द्वितीय पक्ष क्रेता को प्रदान कर दिया है तथा क्रेता ने विक्रित भूमि का वास्तविक एवं भौतिक अधिपत्य स्थल पर प्राप्त कर लिया है। क्रेता उपरोक्त भूमि को अपनी इच्छानुसार प्रयोग में ला सकेंगे। किसी को कोई आपत्ति न होगी। क्रेता अपना नाम राजस्व अभिलेखों में बतौर स्वामी अंकित कराने के पूर्ण अधिकारी रहेंगे यदि इस हेतु प्रथम पक्ष विक्रेतागण की सहमति एवं राजामन्दी प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी तो उसको प्रथम पक्ष विक्रेतागण समयानुसार पूर्ण रूप से पाबन्द रहेंगे। कोई आपत्ति न होगी। यदि आज की तिथि से पूर्व का कोई ड्यूज या लगान विक्रित भूमि पर चुकाया पाया जायेगा तो उसको चुकता करने का भार हम

500Rs.



9

विक्रेतागण के जिम्मे होगा और आज की तिथि के बाद समस्त ढयूज एवं लगान को स्वयं क्रेता वहन करेंगे। कोई आपत्ति न होगी। यदि अब अथवा भविष्य में विक्रित भूमि अथवा उसका कोई अंश क्रेता के अधिकार, स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि से निकल जायेगा या विक्रित भूमि पर कोई ऋण या भार आदि पाया जायेगा या यह बैनामा किसी न्यायालय से खण्डित अथवा मन्सूख करार पा जायेगा तो ऐसी प्रत्येक विधानिक दशा में क्रेता के विक्रय मूल्य अथवा उसका अंश जैसी स्थिति हो, मय हर्जा व सजा व भविष्य में लगाई लागत सहित वापिस चुकता करने का भार प्रथम पक्ष विक्रेतागण तथा उनके उत्तराधिकारी सहित उनकी चल व अचल सम्पत्ति समस्त प्रकार पर रहेगा। कोई

Signature

Signature



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

10

आपत्ति न होगी। अतः यह विक्रय पत्र लिख दिया कि सनद
हो और उचित समय पर काम आवे। इति।

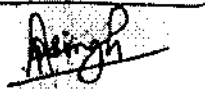
भूमि किस्म सेवटा अव्वल आबी है।

विक्रेतागण अनुसूचित जाति से नहीं है।

विक्रित भूमि कृषि भूमि है तथा समस्त राजस्व अभिलेखों
में कृषि के रूप में दर्ज है और वर्तमान में कृषि हो रही है।

विक्रित भूमि में कोई बाग या पेड़ व बोरिंग आदि नहीं

है।

12 



10



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



. 11 .

विवरण प्राप्त विक्रय मूल्य:

अंकन 2,48,768/- रुपये बैंक नम्बर 707208 दिनांकित 10.1.2007
पंजाब नेशनल बैंक नई दिल्ली द्वारा प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से प्राप्त
किये।

दिनांक: 12.01. बारह जनवरी सन 2007 ई०

मसविदा: जिनेन्द्र कुमार जैन, एडवोकेट, सरधना जिला मर्ठ

Heingh

[Signature]

Signature
Jinendra Kumar Jain
ADVOCATE
TEHSIL SARDHANA (MERUT)



[Signature]

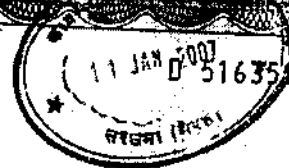
11

मसविदा S/O 9/2/2007
303/2007

Signature
Jinendra Kumar Jain
ADVOCATE
TEHSIL SARDHANA (MERUT)



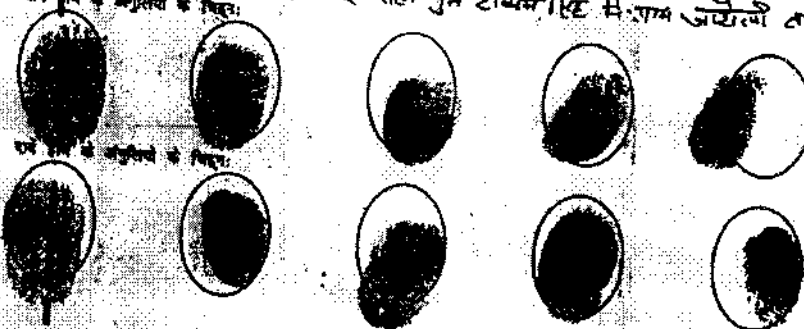
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन हेतु फिंगर्स
प्रिन्ट्स

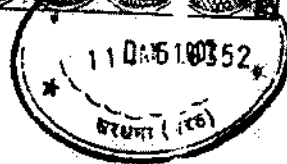
प्रत्येक फिंगर का नाम व वर्ण :
बाएँ हाथ के अंगुलि के निशान :

आजाद चाल पुनः टेबिल लिख सि. राय जयेंजी व हस्तचक्र (मो. १)





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन हेतु फिंगर्स
प्रिन्ट्स

अनुपालन/निर्देश का नाम व पता : राजेन्द्र शर्मा पु. सी. हो. नं. 2/10 नई दिल्ली
जहाँ से यह के अंगुलिचिह्न के लिए

